226

5 रु. Rs 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE Rs 10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्र0क्र0 /2013 निग0, R 1521 I/13

1- भरतलाल पुत्र बाबूराम जाति ब्राम्हण

2- प्रतापसिंह पुत्र राजवीरसिंह जाति

ठाकुर निवासीगण ग्राम अकोडा परगना

व जिला भिण्ड म0प्र0 —आवेदकगण

बनाम

1- म0प्र0 शासन

——मूल अनावेदक

2- श्रीमती बेबी शर्मा पत्नी कमलेशशर्मा

निवासी भारौली रोड भिण्ड म0प्र0

3- श्रीमती श्वेता पुत्री जयतराम अत्रे

निवासी सर्वोदय नगर वनखण्डेश्वर रोड

भिण्ड म0प्र0 —तरतीबी अनावेदकगण

दिनांक 22.4.13 को श्री श्याम कृ० अवस्थी अभि० द्वारा प्रस्तुत।
22.4.13
A.S.O.

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला भिण्ड अन्तर्गत प्रकरण क्रमांक 78/2009-2010 स्व0निगरानी दिनांक 27/2/2013

==

माननीय महोदय,

निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है-:

1- यहकि, मौजा अकोडा परगना भिण्ड में आराजी क्रमांक 28 रकवा 0.575 क्रमांक 2866 रकवा 0.094 क्रमांक 2888 रकवा 0.314 क्रमांक 2889 रकवा 0.293 क्रमांक 3064 रकवा

3

=2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1521-एक/13 **जिला** - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	